

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 4(1)(1)/नपा/रानिआ/2021/426

दिनांक: 13.01.2021

प्रेषक:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:-

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर),
अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बून्दी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़,
चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं,
नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक एवं उदयपुर।

विषय:- नगरनिकाय आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2021 के निर्वाचन में मतदान दिवस को
संवैतनिक अवकाश हेतु।

संदर्भ:-भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 78/ईपीएस/2019 दिनांक 30.09.2019

महोदय,

नगर निकाय चुनावों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के अनुसार लागू होते हैं। नगरनिकायों के चुनाव के लिये मतदान के दिन कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश दिये जाने की व्यवस्था है।

इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के अन्तर्गत उन कार्मिकों को भी मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश का पात्र माना है, जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, किन्तु वे अन्यत्र पदस्थापित है।

अतः इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग का मत है कि भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 02 एवं 03 के अनुसार 90 नगरनिकायों के माह जनवरी, 2021 में होने वाले आम चुनाव हेतु दिनांक 28.01.2021 को ऐसे कार्मिकों को भी मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए, जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, किन्तु अन्यत्र पदस्थापित है।

आज्ञा से,

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव